भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4205

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों का वितरण

4205. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और विगत वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत वर्ष के दौरान खाद्यान्न वितरण से संबंधित कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में, 81.35 करोड़ के लक्षित कवरेज की तुलना में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 80.56 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की कवरेज निम्नानुसार है: -

(लाख में)

दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.3.2024 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 15.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार
7972.53	8010.70	8049.94	8056.02

(ख): प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, पीडीएस में दक्षता में सुधार लाने और लीकेज को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से (100%) डिजिटल कर दिया गया है। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी कैश ट्रांसफर योजना को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, पीडीएस प्रणाली के तहत लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस लगाकर कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.41 लाख (99.6%) को स्वचालित किया गया है।

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थी परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण और उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शिकायतों के निवारण और संपर्क के लिए तथा अपेक्षित लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रृंखला संख्या चालू है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) में खाद्यान्न वितरण सहित किसी भी स्रोत से शिकायतें प्राप्त होने पर, उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है। डीएफपीडी द्वारा हल की गई शिकायतों की संख्या के बारे में ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता है, वर्ष 2024 में विभाग में टीपीडीएस पर प्राप्त शिकायतों का विवरण **अनुबंध-I** में है।

अनुबंध -I

लोकसभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4205 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2024 में व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के माध्यम से विभाग को टीपीडीएस पर प्राप्त शिकायतें

क्र. सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024
1	आंध्र प्रदेश	39
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	178
4	बिहार	1720
5	छत्तीसगढ	69
6	दिल्ली	346
7	गोवा	2
8	गुजरात	182
9	हरियाणा	240
10	हिमाचल प्रदेश	8
11	जम्मू एवं कश्मीर	57
12	झारखंड	738
13	कर्नाटक	126
14	केरल	8
15	मध्य प्रदेश	157
16	महाराष्ट्र	376
17	मणिपुर	-
18	मेघालय	5
19	मिजोरम	-
20	नागालैंड	-
21	ओडिशा	217
22	पंजाब	115
23	राजस्थान	121
24	सिक्किम	-
25	तमिलनाडु	151
26	तेलंगाना	36
27	त्रिपुरा	5
28	उत्तराखंड	68
29	उत्तर प्रदेश	2201
30	पश्चिम बंगाल	160
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
32	चंडीगढ़	-
33	दादरा नागर हवेली और दमन और दीव	-
34	लक्षद्वीप	-
35	पुडुचेरी	5
36	लद्दाख	-
कुल		7331